

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60034
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50031

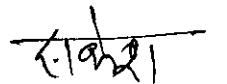
दिनांक: 27.02.2019

अपीलकर्ता : श्री नवीन,
न्याय मंच (एन.जी.ओ.),
352ई/11ए, मुनिरका, जे.एन.यू. के सामने,
नई दिल्ली - 110067.

निर्णय की तारीख: 27.02.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.02.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के बिंदु सं. 3 एवं 5 विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें बिंदु सं. 3 एवं 5 के तहत प्रदान की सूचना अधूरी एवं अस्पष्ट है।
2. संबंधित संचिका आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना तथा प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर अपीलकर्ता की शिकायत को सही पाया गया कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 एवं 5 से संबंधित श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना अधूरी है। श्रीमती सविता तलूजा द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं.3 के तहत प्रदान की गई सूचना में यह नहीं बताया गया है कि किस तिथि को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया गया अथवा किस तिथि को उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया एवं बिंदु सं. 5 के तहत प्रदान की गई सूचना में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा की तैनाती में संबंधित सूचना आयुक्त की सहमति लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। तदुसार श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 एवं 5 से संबंधित पूर्ण सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

